



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम

रौलाना रोड, ग्राम बंजली, रतलाम (मण्डी)

ईमेल- deauratlam@gmail.com पेबराईट - www.ratlam.org कार्यालय दूरभाष नंबर :- 07412-284226 पिनकोड़ :- 457001

DONATE ORGAN - SAVE LIFE
अंगदान करें - जीवन बचाएं

रतलाम, दिनांक :- 22/09/23

क्रमांक : १११६ / रा. / जी.एम.सी. / 2023

// विज्ञप्ति //

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में जूनियर रेसिडेंट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित समयावधि (Tenure) 03 वर्ष हेतु भरे जाने के लिए मंगलवार वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु निर्धारित प्रारूप में साक्षात्कार के पहले कार्य दिवस तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रथम नियुक्ति एक वर्ष हेतु की जावेगी। प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंधान एवं स्पष्ट अभिमत पर एक वर्ष आगे बढ़ाई जावेगी।

(जूनियर रेसिडेंट (निश्चित वेतन रु. 56,355/- प्रतिमाह)

विभाग	अनारक्षित (UR)	अनुसूचित जनजाति (ST)	अनुसूचित जाति (SC)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS)	रिक्त कुल पद
					-	2
Medicine	1	1	-	-	-	3
Pediatrics	1	-	1	1	-	2
Obstetrics & Gynecology	1	1	-	-	-	2
Orthopedics	1	1	-	-	-	1
ENT	1	-	-	-	-	3
Anesthesia	-	2	-	1	-	
Total :- 13	5	5	1	2	-	13

जूनियर रेसिडेंट पद हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू नोटिस जारी होने के उपरान्त पद भरने तक साक्षात्कार किये जायेंगे। आवेदन पत्र साक्षात्कार के पहले कार्य दिवस में प्रातः 10:30 से 5:00 बजे तक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के कार्यालय में प्राप्त किये जावेंगे (यदि आवेदक साक्षात्कार के दिन आवेदन प्रस्तुत करता है तो साक्षात्कार अगले साक्षात्कार दिनांक को लिया जावेगा)। 5:00 बजे के पश्चात आवेदन पत्र नहीं लिये जावेंगे। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्राणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्र. एफ-4-7/2/55 दिनांक 25.08.2010 के प्रावधान के अनुसार सभी स्नातक छात्र जिनका चयन जूनियर रेसिडेंट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा, के बांड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाएं देगें। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बांड की शर्तें लागू हो जाएंगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

नोट:-

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार लागू होगा।
2. पदों की रिक्तियों की संख्या में कभी या बढ़ि हो सकती है।
3. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित है तथा 3 प्रतिशत पद विकलांग हेतु आरक्षित है। महिला चिकित्सक उपलब्ध न होने पर पद पुरुष वर्ग से भरा जावेगा।
4. अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं गिलते हैं तो उस रिक्ति में सीटे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।


यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. अवधि : जूनियर रेसिडेंट की सेवा अवधि (Tenure) तीन वर्ष होगी। इनकी प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात् सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01-01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 03 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी।
2. नियुक्ति का तरीका : योग्य अभ्यार्थियों का चयन एम.बी.बी.एस. परीक्षा में प्राप्ताकों एवं साक्षात्कार उपरान्त किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी। जिन चिकित्सकों ने इसी महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
3. जूनियर रेसिडेंट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रेविट्स की पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सकों ने संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
4. यात्रा भत्ता : साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।
5. चयन हेतु प्रथमतः प्राथमिकता विज्ञापन जारी करने वाले स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को दी जायेगी। तत्पश्चात् मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात् शेष रिक्त पदों के लिये प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।
7. आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

अन्य शर्तें :-

1. चिकित्सकों को प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिनांक अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसिडेंट्स से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
4. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
5. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होंगी।
6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौसिल अथवा एन.एम.सी. से पंजीयन करना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
8. साक्षात्कार में समिलित होने वाले चिकित्सकों की झुटनी समिति के समक्ष यह शपथ पत्र देना होगा की उनका नाम पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में नहीं है एवं उनके विरुद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नहीं है, यदि इनके विरुद्ध पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में है या इनके विरुद्ध प्रकरण पुलिस में दर्ज है तो इन्हें आवेदन भरने एवं साक्षात्कार में समिलित नहीं किया जावेगा।

9. यदि उम्मीदवार द्वारा ओबीसी पद के लिए आवेदन किया गया है तो उक्त पद के लिये आवेदक द्वारा चालू वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी साक्षात्कार में सम्मिलित किया जावेगा।
10. बाण्डेर अभ्यार्थी को इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा की उसने एक वर्ष की ग्रामीण सेवा हेतु बाण्ड भरा हुआ है, एवं आज दिनांक तक मेरी पोस्टिंग/नियुक्ति ग्रामीण सेवा हेतु शासन की तरफ से नहीं आई है/आई है किन्तु मैंने अपनी जोड़निंग शासन द्वारा बताये गये स्थान पर आज दिनांक तक नहीं दी है। यह शपथ पत्र शासकीय सेवा के अन्तर्गत बाण्ड के बदले जूनियर रेसिडेंट पद के लिये प्रस्तुत कर रहा हूँ।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शा. स्व.चि.महा. रत्नाम (म०प्र)